राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

(धारा २० के अधीन)

दिनांक ६-१२— सन् १९९०

(हस्तलिखित:) फ़े-6(२६२)रा.फ़. ६०.

चूंकि विज्ञप्ति संख्या डी.२०५८ फा`रेस्ट १९९० दिनांक १०-७-९० द्वारा निचे लिखी हुई भूमी को मेवाड वन अधिनियम(अधिनियम संख्या १ सन् (१९१) के अधीन आरक्षित वन के रूप मे गठीत किये जाने का प्रस्ताव किया गया था,

और चूंकि इन भूमियो पर अधिकारो के बारे मे अधियाचनाये प्रस्तुत करने की अवधी जो निर्धारित की गई व्यतित होचुकी है और.प्रस्तुत अधियाचनाये यदि हो निपटा दी गई है,

और चूंकि उपयुक्त अधियाचनाओ पर पारित आदेशो के विरूध अपील पेश करने की अवधी व्यतित होचुकी है और इस अवधी मे प्रस्तुत की गई अपीले निपटा दी गई है,

और चूंकि प्रस्तावित वन मे सम्मिलित किये जाने के लिए अवाप्त की गई समस्त भूमिया यदि हो अनिवार्य अवाप्ती कानून के अधीन सरकार मे निहित होगई है.

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम की धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग मे राज्य सरकार उक्त भूमी को दिनांक १-२-६९ से प्रभाव मे रखते हुये आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावाधान के अधीन है कि निचे लिखे गये पाव अधिकारो की संक्षिप्त सूची(१) मे उल्लेखित सीमा तक अधिकार रखते रहेंगे और कोई रियायते नही पावेगे.

राज्यपाल की आज्ञा से

(हस्ताक्षर)

राजस्व सचिव

[illegible] सचिव

जयपुर

भूमी का विवरण

जिला	तहसिल	वनखण्ड का नाम	मौजा	क्रमांक वनखण्ड एकड़ो मे	विशेष विवरण
उदयपुर	गीरवा	जगत	जगत मय मजरेजात	५८१	सीमारेखा का विवरण परिशिष्ट(अ) संलग्न है.

C.S

(हस्ताक्षर)

(मुकेश सैनी)

उप वन संरक्षक

उदयपुर